सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **260/2017** दायर दिनाँक **11.09.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. नाथुराम पुत्र मंगाराम जाति जाट निवासी सियागों की ढाणी कोलिया तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. गिरधारीराम पुत्र हडमानराम 2. भागीरथराम पुत्र मंगाराम जाति जाट निवासी सियागों की ढाणी कोलिया 3. डालूराम पुत्र निम्बाराम जाति जाट निवासी कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 4. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील, वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **06.04.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 एक ही परिवार के सदस्य है तथा इनकी पैतृक सम्पति वाके सरहद कोलिया में स्थित है। वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त पैतृक भूमि वाके सरहद कोलिया में आई हुई है जिस पर पूर्व में मूला के राम से खातेदारी आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा सं0 1655 रकबा 15 बिस्वा गै0मु0 बाडा व खसरा सं0 400 रकबा 06 बिस्वा, खसरा सं0 401 रकबा 42 बीघा 05 बिस्वा व खसरा सं0 416 रकबा 29 बीघा 05 बिस्वा वाके सरहद कोलिया में अवस्थित है। उक्त समस्त खेत वादी व प्रतिवादीगण के पैतृक खातेदारी के रहे है। जिनमें बंटवारा के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण काश्त करकते हुये आ रहे है।

खसरा नम्बर 1655 रकबा 15 बिस्वा में वादी के दादाजी मूलाराम का हिस्सा 1/2 था व उनकी फौतगी के बाद 1/2 के 1/2 भाग

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 260/2017
दायर दिनाँक 11.09.2017, निर्णय दिनाँक 06.04.2018
नाथुराम बनाम गिरधारीराम वगैरा।

पर खेताराम का हक अधिकार रहा व 1/2 के 1/2 भाग पर मंगाराम का अधिकार रहा व मंगाराम की फौतगी के बाद उक्त भूमि पर वादी नाथुराम व प्रतिवादी भागीरथराम के हक अधिकार में आ गई। नाथुराम व भागीरथराम का मौके पर कब्जा काश्त है। जिसमें वादी नाथुराम ने मौके पर मकान बना रखा है। खसरा सं0 1655 रकबा 15 बिस्वा गै0मु0 बाडा में से 1/2 भाग माना पुत्र दीपाराम का था जिसने उक्त भूमि डालुराम को बैचाण कर दी।

खसरा सं0 1655 के पूर्व में पुराने खसरा सं0 818 रहे है जिनके नये खसरा सं0 1655 बने है। सैटलमेन्ट विभाग में खातेदारी देते वक्त खेत खसरा सं0 1655 वर्तमान जिसके पुराने खसरा सं0 818 रहे है की खातेदारी वक्त सैटलमेन्ट तो मूला रो 1/2 अंकित किया था परन्तु उसके बाद केवल मात्र मूला के एक बेटे खेता के नाम ही खातेदारी दी है मंगाराम के नाम उक्त गैर मुमकिन बाडा में खातेदारी नहीं दी गई है। जो राजस्व रिकार्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों की भूल के कारण हुआ है। वादी का मकान खसरा सं0 1655 में बना हुआ है जिसे वादी का विद्युत व जल कनेक्शन लिया हुआ है।

वादी द्वारा जब खसरा सं0 1655 के बंटवारा के बारे में प्रतिवादी सं0 01 के पिता हनुमान से निवेदन किया तब हनुमान ने गांव के मौजिज व्यक्तियों के सामने वादी का एक ईकरारनामा लिखकर दिया जिसकी प्रति वाद के साथ पेश है। वर्तमान खातेदारी में नाम नहीं होने से वादी का भारी दिक्कतों का सामना करना पड रहा है जिससे दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी है कि खसरा सं0 1655 में प्रतिवादी सं0 01 के नाम दर्ज खातेदारी में से 1/2 भाग के 1/2 भाग पर वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावें

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. का पेश हुआ।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने प्रदर्श–01 जमाबन्दी संवत 2014–2017, प्रदर्श–02 जमाबन्दी संवत 2070–2073, प्रदर्श–03 ए पुरानी लिखपढी, पेश है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व–वाद, संख्या 260/2017
दायर दिनाँक 11.09.2017, निर्णय दिनाँक 06.04.2018
नाथुराम बनाम गिरधारीराम वगैरा।

बहस विद्वान वकील सुनी गयी। विद्वान वकील की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

अतः, बाद विवेचन, वाद, वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद कोलिया के खसरा सं0 1655 में प्रतिवादी सं0 01 के 1/2 भाग के 1/2 भाग में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 06.04.2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

दिनांक :- 15/6/18

नोट :- खसरा नं0 1655 में गिरधारीराम के 1/2 भाग पर लिखे गये ऋण को गिरधारी के हिस्से पर रखा जाता है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **260/2017** दायर दिनॉंक **11.09.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. नाथुराम पुत्र मंगाराम जाति जाट निवासी सियागों की ढाणी कोलिया तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. गिरधारीराम पुत्र हडमानराम 2. भागीरथराम पुत्र मंगाराम जाति जाट निवासी सियागों की ढाणी कोलिया 3. डालूराम पुत्र निम्बाराम जाति जाट निवासी कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 4. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्

घोषणा खतेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,

अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

दिनॉंक **06.04.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्र खिलेरी, वकील, वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा . डिक्री सादिर कर वाके सरहद कोलिया के खसरा सं0 1655 में प्रतिवादी सं0 01 के 1/2 भाग के 1/2 भाग में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत.....................–.............

......खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **06.04.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर,
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

दिनांक 15/6/18

नोट !- खसरा नं0 1655 में निरस्तीकरण के 1/2 भाग पर लिखे गये अंश को निरस्तीकरण के निर्णय पर रखा जाता है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–260–2017/रीडर/2018/ 371 दिनाँक 12/5/18

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. नाथुराम पुत्र मंगाराम जाति जाट निवासी सियागों की ढाणी कोलिया तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. गिरधारीराम पुत्र हडमानराम 2. भागीरथराम पुत्र मंगाराम जाति जाट निवासी सियागों की ढाणी कोलिया 3. डालूराम पुत्र निम्बाराम जाति जाट निवासी कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 4. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner